न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)मावली,उदयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS.

पत्रावली संख्या : 222/**14 (वाद)**

1. श्री छगनलाल पिता कालु जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता कालु जाट निवासी मोरठ तहसील मावली।
3. श्रीमती नौजीबाई पत्नी कालु जाट निवासी मोरठ तह.मावली मृतक

3/1. श्रीमती सेसर पुत्री कालू पत्नी डालचन्द जाट नि. खरताणा तह.मावली।

3/2.श्रीमती कंवरी पुत्री कालू पत्नी माधुलाल जाट नि. खरताणा तह.मावली।

4. श्री जयचन्द पिता हरलाल जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री बालुराम पिता नाथु जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

2. श्री बद्रीलाल पिता वेणीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

3. श्री भगवान पिता मगनीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

4. श्री शंकर पिता मगनीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

5. श्रीमती गणेशी बेवा वेणीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित :— 1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 05.11.19

1. वाद वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोरठ पटवार हल्का फतहनगर के खाता सं. 68 नया एवं 66 पुराना में आ.न. 124 रकबा 7

बीघा स्थित है जो वादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी से दर्ज है और कब्जे काश्त में है एवं खाता सं. 166 नया एवं 153 पुराना जिसमें आराजी सं. 1803/380 रकबा 17 बिस्वा एवं खाता सं. 278 नया एवं 259 पुराना जिसमें आराजी सं. 1806/380 रकबा 14 बिस्वा स्थित है जो कि वादीगण के पश्चिम दक्षिण के पडौस में स्थित है और उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम अंकित हो कब्जे उपयोग मं है। जमाबन्दी सं. 2069 से 2072 वाद पत्र के साथ संलग्न है।

2. सेटलमेन्ट से पुर्व साबिक आराजी सं. 80रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा था जिसका वर्तमान आराजी नं. 124 बना और उक्त रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा से नया रकबा बना जिसका रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा बनना चाहिये था जबकि सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने गलती से उक्त कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात 80 जो कि सेटलमेन्ट से पुर्व के नम्बर है से जो नये नम्बर 124 बने उसका रकबा केवल 7 बीघा ही बनाया जबकि मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त में 7 बीघा 8 बिस्वा कृषि आराजीयात कब्जे काश्त में है और उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में भी 7 बीघा 8 बिस्वा के बजाया केवल 7 बीघा को ही सीमा रेखा रे अंकित किया हुआ है जबकि मौके पर वादीगण का 7 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा है उसी अनुसार नक्शा ट्रेस भी सेटलमेन्ट अधिकारीयों के द्वारा बनया गया है जो कि गलत बनाया गया है। वाद मे वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतक सम्पति है और सभी खातेदारों के मध्य आपसी बंटवाडा हो चुका है और आराजी सं. 124 जिसके साबिक न. 80 है वो वादीगण के हिस्से में आई है। एवं आराजी सं. 134 सबिक आराजी सं. जिसके नये नम्बर 380 बने और उसके पश्चात पुनः बटवाडा हो गया जिसके नये नम्बर 1803/380 एवं 1806/380 बने जो कि वादीगण के पश्चिम दक्षिण के पडौस में स्थित है। खसरा मिला पत्रक सं. 2030 वाद पत्र के साथ संलग्न है एवं नक्शा ट्रेस वर्तमान एवं सेटलमेन्ट पुर्व का भी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

3. वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि आराजी 124 जिसका रकबा कम बनाया गया है उसमें 7 बीघा के बजाय 7 बीघा 8 बिस्वा पर अपना नाम

खातेदारी से घाषित कराये जाने के अधिकारी है और उसी अनुसार नक्शे में भी तरमीम कर उसी अनुसार सीमा रेखा निर्धारित कराये जाने के अधिकारी है। एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 वादीगण को उनको कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को उक्त जमीन के बाबत् परेशान करते रहते है और उनकी कृषि आराजीयात को हाक कर उस पर कब्जा करना चाहते है। जिनका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा विवाद एवं अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी बढेगी और वादीगण को नुकसान होगा।

4. हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है और हम वादीगण वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में आराजी नं. 124 रकबा 7 बीघा के बजाय 7 बिघा 8 बिस्वा कृषि भूमि अपने नाम खातेदारी अधिकरों से घोषित किये जाने के अधिकारी है और उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नक्शे में तरमीम कराये जकार पैमुद कराने के अधिकारी है और उसी अनुसार लगान अलग से निर्धारित कराये जाने के अधिकारी है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने के भी अधिकारी है और सुविधा सन्तुलन का भी बिन्दु वादीगण के पक्ष में है। और यदि वादीगण के हिस्से में कृषि भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया गया और नक्शें में तरमीम नही की गई एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो वादीगण को जो हानी होगी उसका आंकलन रूपये पैसे में किया जाना असंभव है। एवं प्रतिवादीगण को उक्त तरमीम एवं घोषणा से किसी भी प्रकार की कोई हानी नहीं होगी।

5. वाद कारण दिनांक 13.8.2014 को नकल प्राप्त करने से एवं जानकारी करने से उत्पन्न हुआ है एवं उत्पन्न हाकर लगातार जारी है।

6. अतः निवेदन है कि खाता सं. 68 नया एवं 66 पुराना में आ.न. 124 रकबा 7 बीघा के बजाय वादीगण के नाम 7 बीघा 8 बिस्वा कृषि आराजी को खातेदार घोषित किया जावें जो कि साबिक नं. 80 के रकबे के मुकाबले कम है और उसी अनुसार डिक्री जारी फरमाई जावे। ओर उसी अनुरूप

लगान भी बरफाल फरमाया जावे। नक्शा ट्रेस में भी पुर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार एवं नये रकबे 7 बीघा 8 बिस्वा के अनुसार तरमीम किया जाकर सीमा रेखा प्रदर्शित किय जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे एवं नक्शे में पैमुद कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादीगण को उनके कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में किसी भी प्रकार की बाधा न स्वंय उत्पन्न करे और न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट या किसी अन्य से ही करावें और वादीगण को आपने हिस्से कि कृषि आराजीयात का शान्तिपुर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवें कि डिक्री जारी फरमाई जावें। अन्य कोई भी दादरसी जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है प्रदान कराई जावे।

7. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, मिलान खसरा सम्वत 2021 प्रदर्श 4, मिलान खसरा सम्वत 2021 प्रदर्श 5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6, नक्शा ट्रेस बाद सेटलमेन्ट प्रदर्श 7 की पेश की गई है।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री मोहनलाल पिता कालु जाट, पी. डब्ल्यू–2 श्री जयचन्द पिता हरलाल जाट, पीडब्ल्यू 3 श्री छगनलाल पिता कालु जाट का शपथ प्रस्तुत किया।

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी के पूर्व सबिक आराजी नम्बर 80 जिसका रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा था, जिसके नये नम्बर आ. स. 124 पडे जिसका रकबा 7 बीघा दर्ज किया गया, जबकि पुर्व जरिब एवं वर्तमान जरिब के अन्तर के आधार पर वर्तमान

रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा होना चाहिए था। सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा 8 बिस्वा भूमि रेकार्ड एवं नक्शे में कम अंकन करने का कथन किया है। जबकि मौके पर वादी द्वारा अपने सम्पुर्ण भूमि अर्थात 7 बीघा 8 बिस्वा पर ही काबिज होना बताया है। वादी द्वारा कथन किया कि आराजी नम्बर 80 के वर्तमान नम्बर 124 पडे जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 5 से साबित भी होता है। वादी का एक और कथन की आराजी नम्बर 380 के बंटवाडे के बाद आराजी नम्बर 1803 / 380 रकबा 17 बिस्वा, एवं आ. न. 1806 / 380 रकबा 14 बिस्वा वादीगण के पश्चिम दक्षिण के पडौस होकर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज है। वादी द्वारा अपनी आराजी के रकबा 7 बीघा के बजाय 7 बीघा 8 बिस्वा दर्ज कराना चाहता है। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि वादी के पुराने रकबे के मुकाबले नया रकबा का अन्तर 8 बिस्वा है, एवं उक्त 8 बिस्वा सेटलमेन्ट के दौरान किस खसरे में सम्मिलित हुआ है जहां से कमी कर वादी के पुर्ती कराई जा सके। वादी प्रतिवादी सं. 1 से 5 की भूमि में से उक्त भूमि की पुर्ति चाहता है । इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 अनुसार आराजी नम्बर 380 वादी की आ.न. 124 के पडौस में स्थित है जिसके पूर्व नम्बर क्रमशः 134 एवं 80 होकर नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6 है। प्रतिवादी के आराजीयात सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 380 होकर आ. नम्बर 134 एवं 154 मी. से मिलकर बना हुआ है जो दस्तावेज प्रदर्श 4 से स्पष्ट है। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मे आ.न.134 व 154मी. की जमाबन्दी नकल प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि पूर्व में आ. न. 134 व 154 मी. का रकबा कितना था तथा वर्तमान नम्बर 380 जिसका रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा है उसमें कितनी भिन्नता है। वादी द्वारा केवल मिलान खसरा प्रस्तुत किया है जिसमें आराजी का रकबा स्पष्ट नहीं है, वादी को जमाबन्दी नकल प्रस्तुत करनी चाहिए थी जिससे रकबा स्पष्ट हो सके। वादी द्वारा आ.न. 1803 / 380 के भी कोई जमाबन्दी नकल प्रस्तुत नहीं की गई जिससे भी उसके रकबे की जानकारी हो सके। वादी द्वारा अपने दावे में कहीं यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस

खसरे (अथवा 1803/380 या 1806/380) में वादी की भूमि को रेकार्ड में दर्ज कर रखा है जिसको कम कर उसकी पूर्ति स्परूप वादी को घोषणा दी जावे। यदि वादी को यह मालूम है कि आ. न. 380 में उसके रकबे को ज्यादा मिलाया गया है तो वादी को आ. न. 380 के सम्पूर्ण जमाबन्दी नकल के साथ वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, आ.न. 380 से टूटकर कुल कितने नम्बर बने है यह भी वादी द्वारा अपने वाद में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं कर पाया है, केवल कथन मात्र के आधार पर इस तथ्य को स्वीकारा नहीं जा सकता है। वादी के वाद की दाद में किस खसरे (अथवा 1803/380 या 1806/380) में से भूमि की घोषणा की जानी है उसका भी कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। उपरौक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया यही स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने वाद में कहीं स्पष्ट नहीं किया कि किस आराजी में उसका रकबा 8 बिस्वा मिलाया गया है जिसे कम कर वादी को दिया जा सके। वादी द्वारा इस बाबत् कोई पूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराये जिससे वादी अपने पक्ष में वाद को साबित करा सके, वादी दस्तावेजो के आधार पर वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री छगनलाल पिता कालु जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता कालु जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
3. श्रीमती नौजीबाई पत्नी कालु जाट निवासी मोरठ तह.मावली मृतक

3/1. श्रीमती सेसर पुत्री कालू पत्नी डालचन्द जाट नि. खरताणा तह.मावली।

3/2.श्रीमती कंवरी पुत्री कालू पत्नी माधुलाल जाट नि. खरताणा तह.मावली।

4. श्री जयचन्द पिता हरलाल जाट निवासी मोरठ तह.मावली।

..........**वादीगण**

बनाम्

1. श्री श्री बालुराम पिता नाथु जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
2. श्री बद्रीलाल पिता वेणीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
3. श्री भगवान पिता मगनीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
4. श्री शंकर पिता मगनीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
5. श्रीमती गणेशी बेवा वेणीराम जाट निवासी मोरठ तह.मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

............**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 222/14 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.11.2019 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.14 18:06:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: